अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 23/2013

रेखा देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या 113/2013–14 में दिनांक 18.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में सुनवाई हेतु यह वाद दायर किया गया है ।

संक्षेप में मामला यह है कि श्री राजय नन्द वार्डियार, सहायक निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 09.04.2013 को 11.30 बजे पूर्वाहन में बाल विकास परियोजना, सोनवर्षा अन्तर्गत सोनवर्षा पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र– केवट टोला, केन्द्र संख्या 04 की जॉच की गई । जॉच के कम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ/ त्रुटियॉ पायी गयी :–

ऑगनबाड़ी केन्द्र पर कुल 18 बच्चे उपस्थित थे । पोषाहार में 2.00 कि0ग्रा0 चावल का रसियाव बना था । ऑगनबाड़ी केन्द्र पर न तो खाना, न स्वास्थ्य जॉच और न ही पढ़ाई का कार्यकम सही ढंग से चल रहा था ।

सहायक निदेशक आई.सी.डी.एस. बिहार, पटना द्वारा उक्त केन्द्र का जॉच प्रतिवेदन संचिका संख्या आई0 सी0 डी0 एस0 /35020 /30–2013/2297, दिनांक 13.05.2013 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को प्राप्त पत्र में ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गई है ।

राज्यस्तरीय जॉच टीम द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनयिमितता/त्रुटियॉ पाये जाने की आलोक में ऑगनबाड़ी सेविका

एवं सहायिका को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 992–1 दिनांक 04.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 19.06.2013 को 2.00 बजे अपराहन् में उपस्थित होने का नोटिश निर्गत किया गया वो दिनांक 19.06.2013 को निम्न न्यायालय में सुनवाई की गई। सुनवाई के कम में सेविका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा उपस्थित हुई । ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई परन्तु उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के कम में आरोप बिन्दु पर कथन करते हैं कि केन्द्र में कुल 28 उपस्थित बच्चे में से 18 बच्चे पोशाक में थे तथा 10 पोशाक में नहीं थे । 05 सितम्बर 2012 को केन्द्र के 40 बच्चों के अभिभावक को पोशाक राशि भुगतान किया गया था। अपीलार्थी बराबर बच्चों को पोशाक में भेजने का अनुरोध अभिभावक से करती रहती थी ।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई के कम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि केन्द्र पर पोषाहार में 2.50 कि0ग्रा0 चावल का रसियाव बना था, जिसमें गुड़ 1.6 कि0ग्रा0 एवं मुंगफली 200 ग्राम था । रसियाव निर्धारित मात्र से कम बानाने का आरोप केवल अनुमान के अनुसार लगाया गया है जो सही नहीं है । सेविका द्वारा नियमित पोषाहार बनवायी जाती थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता स्वास्थ्य संबंधी आरोप के संबंध में कथन करते हैं कि प्रत्येक माह टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच संबंधित कार्य किया जाता था । साक्ष्य संबंधी कागजात भी न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र में नियमित रूप से संचालित की जाती थी । विद्वान अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश विधि विरूद्ध है ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि उक्त केन्द्र का निरीक्षण राज्यस्तरीय टीम द्वारा किया गया है, उनके उपर भी इस योजना के सफल संचालन की जिम्मेवारी है, द्वारा ही उक्त केन्द्र में बच्चों की कम उपस्थिति पोषाहार में अनियमितता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि योजनाएँ सही ढंग से संचालित नहीं पायी गई है। अप्रैल,13 की उपस्थिति पंजी की छाया प्रति के परिशीलन से ज्ञात होता है कि निरीक्षण की तिथि को उपस्थिति पंजी में 40 (चालीस) बच्चों को उपस्थित दिखाया गया है जबकि सेविका के स्पष्टीकरण में निरीक्षण की तिथि 09.04.13 को 28 बच्चे उपस्थित होना बताया गया है तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में 18 बच्चों उपस्थिति प्रतिवेदित है, जो विरोधाभास है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को चयनमुक्त करना सही प्रतीत होता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना । अभिलेख में रक्षित कागजात/साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया ।

सभी पक्षों को सुनकर एवं अभिलेखीय कागजात के गहन अध्ययनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया है । अस्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत ।

इसी के साथ अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

11/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

11/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।